राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
State Eligibility Test Cell
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
(नोडल एजेन्सी)
रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)

विज्ञापन क्रमांक 06/परीक्षा/2018/**06.10.2018**	ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि **11.11.2018**
ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि **11.10.2018**	डाक द्वारा आवेदन–पत्र व दस्तावेजों के साथ प्राप्त होने की अंतिम तिथि **29.11.2018**

राज्य पात्रता परीक्षा – 2018 (सहायक प्राध्यापक पद के भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा)

मध्यप्रदेश सेट – 2018

महत्वपूर्ण

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु राज्य पात्रता परीक्षा – 2018 का आयोजन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर (नोडल एजेंसी) के माध्यम से करने जा रहा है। राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) – 2018, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित कुल 19 (उन्नीस) विषयों में आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन विधि से आयोजित होगी।

1. सेट–2018 हेतु आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे, साथ ही आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्वप्रमाणित प्रति, समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्रों सहित आयोग के पते– परीक्षा नियंत्रक (सेट), राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ (सेट सेल), मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर (मध्यप्रदेश) पिनः–452001 को स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर (कार्यालयीन समय में, दिनांक **29.11.2018** तक) प्रस्तुत करना होगा।
2. वे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट–2017) में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं वे पुनः उसी विषय में सेट–2018 की राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षो में (2018 से पूर्व) यू.जी.सी. (नेट), सी.एस.आई.आर. (नेट), मध्यप्रदेश स्लेट/सेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं वे मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) 2018 हेतु आवेदन न करें उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा। सत्र–2018 के सेट हेतु केवल एक ही विषय में आवेदन करें।
3. सेट परीक्षा के लिये आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. सेट परीक्षा 2018 के लिये ऑनलाइन आवेदन दिनांक **11.10.2018** (दोपहर 12.00 बजे) से दिनांक **11.11.2018** (रात्रि 12.00 बजे तक) www.mppscdemo.in, www.mppsc.com www.mppsc.nic.in पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात् ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगी।
5. आवेदक ऑनलाइन आवेदन–पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक **14.10.2018** से **14.11.2018** तक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, रु. 50/– त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक यह ध्यान रखें कि सेट–2018 के आवेदन–पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार दिनांक **14.11.2018** के बाद नहीं किया जा सकेगा और न ही अभ्यर्थी का कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा। अतः सेट परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन–पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें।
6. आवेदक यह ध्यान रखें कि सेट–2018 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन–पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार, परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरांत नहीं किया जा सकेगा, साथ ही आयोग द्वारा सेट पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अभ्यर्थियों से आमंत्रित किये जाने वाले दस्तावेज पुष्टिकरण ऑनलाइन आवेदन–पत्र पर भी त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन–पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें तथा त्रुटि सुधार अवधि में ही वांछित सुधार कर लें।
7. अनारक्षित श्रेणी हेतु परीक्षा शुल्क 1200/– रू. तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 600/– रू. निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गये आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रूपये 600/– त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गये आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. ऑनलाइन आवेदन–पत्र में आवेदक द्वारा भरी गई विभिन्न जानकारी :– श्रेणी/(अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/ वर्ग दिव्यांगता), संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि व न्यूनतम अर्हता इत्यादि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है।

अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। सेट प्रकोष्ठ द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

9. इस विज्ञापन के अंतर्गत एक अनिवार्य प्रश्न–पत्र सहित 19 ऐच्छिक विषयों हेतु पात्रता परीक्षा कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाएगी। सेट परीक्षा की तिथि, समय–सारणी एवं प्रवेश–पत्र संबंधी जानकारी आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पृथक से उपलब्ध की जाएगी।

10. सेट परीक्षा के विज्ञापन एवं परिणाम के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ केवल आयोग की वेबसाईट www.mppscdemo.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगीं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरते समय दिये गये E-mail address तथा मोबाइल नंबर पर, e-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन–पत्र में सुनिश्चित स्थान पर अपने e-mail address, मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर का अवश्य उल्लेख करें। परीक्षा से संबंधित अन्य सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

11. पात्रता परीक्षा 2018 हेतु आयोजित संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण/स्नातकोत्तर उत्तरार्ध/ तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत् अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।

12. सेट–2018 परीक्षा में सम्मिलित 19 विषयों में से, जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में यू.जी.सी. (नेट), सी.एस. आई.आर. (नेट), मध्यप्रदेश – स्लेट के प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिये हैं वे मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट–2018) हेतु यदि ऑनलाइन आवेदन–पत्र में असत्य जानकारी देकर उसी विषय में राज्य पात्रता परीक्षा (सेट–2018) पुनः उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें सेट–2018 का प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकेगा।

13. पात्रता परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सेट प्रकोष्ठ को परीक्षा परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पूर्व आवेदक संपूर्ण विज्ञप्ति के निर्देश व नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। सेट परीक्षा के आवेदन–पत्रो में अभ्यर्थियों से प्राप्त की जाने वाली ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जानकारी के दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों में भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी को राज्य पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नही किया जाएगा।

15. सेट परीक्षा में यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (INELIGIBLE) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा आवेदन–पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे पात्रता प्रमाण–पत्र नही दिया जाएगा।

16. समस्त आरक्षण मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में हैं, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), दिव्यांगजनों, आवेदकों को देय छूट, केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य राज्यों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को कोई छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं आवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग में भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किये जायेंगे तथा इन्हें छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

17. आयोग (सेट प्रकोष्ठ) की परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है, किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुँचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेट प्रकोष्ठ), रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.) को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

18. विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है।

19. उक्त विज्ञापन की समग्र शर्तें एवं नियम अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं।

6.10.18

(डॉ.आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक (सेट)
राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार–पत्र के आगामी अंक में किया जाएगा।

एक   **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:–**

- अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर में अंतिम वर्ष अध्ययनरत् होने पर पात्र होगा।
- अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा निःशक्त अभ्यार्थियों) हेतु 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है।
  1. ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में/ तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत है, तथा जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/ तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/ तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम प्रतिक्षारत् है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह हैं।
  2. उक्त अभ्यर्थियों के परीक्षा में पात्र होने पर भी अर्हता प्रमाण–पत्र तभी मान्य होगा, जब सेट परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो वर्ष में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी के (केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने के अभिलेख उनके द्वारा आयोग (सेट प्रकोष्ठ) में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अन्यथा उन्हें अनर्ह घोषित किया जाएगा।
- 19 सितंबर, 1991 से पूर्व पीएच.डी. डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर में 05 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।
- ऐसे अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र हो, किन्तु उन्हे एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रकोष्ठ को प्रदान करना होगा कि उन्हें प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है।

टीप :–

1. सेट परीक्षा कुल 19 विषयों में आयोजित की जा रही है जिसमें संबंधित विषय (परिशिष्ट–1) में उल्लेखित सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारक/अध्ययनरत् अभ्यर्थी केवल एक विषय हेतु आवेदन कर सकेगे।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों (सह विषयों) में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं, को किसी एक ही मुख्य विषय /सहविषयों हेतु अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी भ्रामक जानकारी दे कर दो विषयों में आवेदन करता हैं तो उसकी सत्यता ज्ञात होने पर पात्रता निरस्त की जाएगी। अतः सेट–2018 परीक्षा हेतु अभ्यर्थी मात्र एक विषय में ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।
3. यू.जी.सी. (नेट) – जुलाई 2018 के प्रकाशित नोटिफिकेशन के पृष्ठ क्र. 20 में वेबसाईड **www.ugc.ac.in/oldpdf/consolidated%20list%20of%20All%20universities.pdf** के अनुसार हीं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों कीं सूची के अंतर्गत अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर उपाधि को ही मान्य किया जाएगा।
4. आवेदकों को परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन–पत्र व उनसे संबंधी प्रमाण–पत्रों को (हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, की अंकसूचियॉ एवं जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र) को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संम्पूर्ण आवेदन पत्र को कार्यालयीन समय में आयोग के कार्यालय में केवल निम्न पते पर दिनांक **29.11.2018** तक प्रस्तुत करना होगा।

पता परीक्षा नियंत्रक (सेट)
राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ (सेट सेल),
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर (मध्यप्रदेश) पिनः–452001

5. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेंदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे सेट–2018 की पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञप्ति के अनुरूप न्यूनतम अर्हता रखते है अथवा नही। प्रदाय जानकारी में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा तथा प्रवेश–पत्र जारी नही किया जाएगा।

6. सेट–2018 परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र जारी करने अथवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। पात्रता परीक्षा के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर, उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

दो अनर्हता :–

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट–2017 में, प्रमाण–पत्र प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी पुनः सेट–2018 हेतु उसी विषय में आवेदन न करें। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षो में यू.जी.सी.– नेट, सी. एस.आई.आर. – नेट, मध्य प्रदेश – स्लेट/सेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं वे सेट 2018 की परीक्षा में उसी विषय हेतु आवेदन न करें। यदि वे आवेदन करते है तो उन्हें प्रमाण–पत्र नहीं दिया जायेगा।

तीन परीक्षा योजना :–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के परिपालन में परीक्षा योजना निम्नानुसार आयोजित की जाएगी :–

राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) –2018 में कुल दो प्रश्न पत्र होगें।

प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) :– सामान्य ज्ञान (General Awareness)/ शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता (Teaching and Research Aptitude) वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्न 50 (पचास) होंगे । अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 (सौ) अंकों का होगा। परीक्षा अवधी एक घंटा (साठ मिनिट) होगी।

द्वितीय प्रश्न पत्र :– चयनित (ऐच्छिक) विषय का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 100 (सौ) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। प्रश्न पत्र पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतया वस्तुनिष्ठ (Objective Type Questions) प्रकार का होगा, जिसमें बहुविकल्पीयं प्रश्न :– सुमेलित टाइप, सत्य/ असत्य, कथन कारण टाइप (Multiple Choice Question:- Matching, True/False, Asseration Reasoning Type) के होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 (दो सौ) अंकों का होगा। परीक्षा अवधि दो घंटा (एक सौ बीस मिनिट) होगी। नोटः– यू.जी.सी. द्वारा द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र (Including all electives, without options) के संम्पूर्ण पाठ्यक्रम का विलय कर दिया गया है। अतः इन दोनो प्रश्नपत्रों का पाठयक्रम सम्मिलित रूप से द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठयक्रम होगा। अभ्यर्थी तद्नुसार प्रश्नपत्र द्वितीय की तैयारी करें।

प्रश्न पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा अवधि
प्रथम	100	50 प्रश्न, सभी अनिवार्य	01 घंटा (60 मिनिट)
द्वितीय	200	100 प्रश्न, सभी अनिवार्य	02 घंटा (120 मिनिट)

टीपः–

1. प्रश्न पत्र हल करते समय दिव्यांगजनों द्वारा सहलेखक लेने की स्थिति में प्रथम प्रश्न पत्र में 20 मिनिट तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 40 मिनिट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
2. किसी भी प्रश्न पत्र में नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा।

नोटः– **सभी विषयों की परीक्षा की तिथि एवं समय सारणी आयोग की वेबसाईट पर पृथक से विज्ञप्ति द्वारा जारी की जाएगी तथा अभ्यर्थी के प्रवेश–पत्र पर भी अंकित रहेगा।**

चार पाठ्यक्रम संबंधी निर्देशः–

पाठ्यक्रम/परीक्षा योजना संबंधी समस्त निर्देश, किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे। संबंधित विषय का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट से प्राप्त करें। प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) एवं द्वितीय प्रश्न (ऐच्छिक) 19 विषयों के पाठ्यक्रम की सूची हेतु (परिशिष्ट–4)। **नोटः–यू.जी.सी. द्वारा द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र** (Including all electives, without options) **के संम्पूर्ण पाठ्यक्रम का विलय कर दिया गया है। अतः इन दोनो प्रश्नपत्रों का पाठयक्रम सम्मिलित रूप से द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठयक्रम होगा। अभ्यर्थी तद्नुसार प्रश्नपत्र द्वितीय की तैयारी करें।**

पांच परीक्षा परिणाम तैयार करने की विधि :–

सेट 2018 की परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देशों का पालन करते हुए तैयार किया जायेगा। इस परीक्षा परिणाम की तैयारी हेतु निम्न चरण होंगें।

<u>प्रथम चरणः–</u> सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थियों की सूची बनाई जायेगी जो प्रथम और द्वितीय प्रश्नपत्र में संम्मिलित हुए हों। उक्त सूची में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी दोनो प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से 40 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन) अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में 35 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करने वालो की संख्या ज्ञात की जावेगी। इस संख्या के 6 प्रतिशत को अर्ह संख्या घोषित किया जायेगा।

द्वितीय चरणः– प्रथम चरण में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 7.5 प्रतिशत अनुसूंचित जनजाति, 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं 3 प्रतिशत दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यार्थियों को पात्र घोषित कियें जावेंगें।

छः श्रेणी/वर्ग के आरक्षण के संबंध में निर्देशः–

1. समस्त आरक्षण मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग आवेदकों को देय छूट, केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी, अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को कोई छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे।
2. मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं, आवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग में भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किये जायेंगें तथा उन्हे छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
3. छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा दिव्यांग के रूप में मान्य है, तथा अन्य प्रदेशों के निःशक्तजन अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित श्रेणी में विचारित किया जाएगा।
4. मध्यप्रदेश के बाहरी राज्यों के अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवार अपना वर्ग ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अनारक्षित लिखें।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का जाति प्रमाण–पत्र मध्य प्रदेश शासन के प्राधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जारी होना आवश्यक है।
6. मध्यप्रदेश के निःशक्तजन अभ्यर्थियों को केवल जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक के स्थायी, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के आधार पर ही आरक्षण देय होगा।
7. सेट 2018 की पात्रता परीक्षा हेतु यात्रा व्यय की पात्रता किसी भी श्रेणी के अभ्यार्थियों को नहीं होगी।

सात परीक्षा शुल्क :–

अनारक्षित श्रेणी हेतु रूपये 1200/– तथा आरक्षित श्रेणी (मध्यप्रदेश के मूल निवासी **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यार्थियों)** हेतु रूपये 600/– परीक्षा शुल्क देय होगा। (विवरण हेतु परिशिष्ट–2 देखें)

आठ ऑनलाइन परीक्षा के शहर :–

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
1	इन्दौर	2	भोपाल	3	ग्वालियर	4	जबलपुर
5	रीवा	6	सतना	7	सागर	8	उज्जैन

शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेशः–

टीपः–

1. आवेदक परीक्षा शहर सावधानीपूर्वक भरें। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से परीक्षा शहरों/केन्द्रों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।
2. अभ्यर्थी उपरोक्त तालिका में उल्लेखित शहर में से उसकी अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम चार शहर चुन सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आबंटित किये जायें।
3. आयोग (सेट प्रकोष्ठ) प्रशासनिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से भिन्न शहर आबंटित कर सकता हैं तथा शहरों की संख्या कम या अधिक कर सकता हैं या परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
4. आयोग (सेट प्रकोष्ठ) द्वारा आवंटित केन्द्र/ शहर के परिवर्तन के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आवंटित केन्द्र का एक दिन पूर्व अवलोकन करना उचित होगा।

नौ आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें:–

क्र.	परिशिष्ट क्रमांक	परिशिष्ट का विषय
1.	परिशिष्ट –1	राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) –2018 के 19 विषयों एवं उनके स्नातकोत्तर उपाधि, मुख्य विषयों/सह–विषयों की सूची।
2.	परिशिष्ट –2	ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के निर्देश एवं जानकारियाँ।
3.	परिशिष्ट –3	ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ के आवश्यक निर्देश एवं जानकारियाँ।
4.	परिशिष्ट –4	प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) एवं 19 विषयों (ऐच्छिक) के पाठ्यक्रम की सूची (अभ्यर्थी संबंधित विषय का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट से प्राप्त कर सकते हैं।)
5	परिशिष्ट –5	परीक्षा के पूर्व व पश्चातवर्ती प्रक्रिया के सदंर्भ में आवश्यक निर्देश

----XXX----

राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) –2018 के 19 विषयों एवं उनके स्नातकोत्तर उपाधि तथा मुख्य विषयों/सह–विषयों की सूची

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ द्वारा सेट–2018 की परीक्षा में 19 विषयों एवं उनकी स्नातकोत्तर उपाधि, मुख्य विषयों/ सह–विषयों (Main/ Allied Subjects) की सूची निम्नानुसार है :–

क्र.	विषय	कोड	स्नातकोत्तर उपाधि/कोर्स	मुख्य विषय/सह–विषयों (Main/ Allied Subjects)
1	कैमिकल साइंसेस **(Chemical Sciences)**	01	एम.एससी.	रसायन (Chemistry)/ रसायन विज्ञान (Chemical Science)/ व्यावहारिक रसायन (Applied Chemistry)/ पर्यावरण रसायन (Environmental Chemistry)/ फार्मास्यूटिकल रसायन (Pharmaceutical Chemistry)/ भौतिक रसायन (Physical Chemistry)/ कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry)/ अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry)/ औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry)/ विश्लेषणात्मक रसायन (Analytical Chemistry)
2	वाणिज्य **(Commerce)**	02	एम.कॉम.	वाणिज्य (Commerce)/लेखांकन (Accountancy)/ प्रबंधन (Management)/ लेखा प्रबंधन (Accountancy Management)
3	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन **(Defence and Strategic Studies)**	03	एम.ए./एम.एससी.	रक्षा अध्ययन (Defence Studies)/ रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन (Defence and Strategic Studies)/ सैन्य विज्ञान (Militry Science)
4	अर्थशास्त्र **(Economics)**	04	एम.ए.	अर्थशास्त्र (Economics)/व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics)
5	अग्रेजी **(English)**	05	एम.ए.	अग्रेजी (English)
6	भूगोल **(Geography)**	06	एम.ए./एम.एससी.	भूगोल (Geography)/समुद्र विज्ञान (Oceanography)/ मौसम विज्ञान (Meteorology)
7	हिन्दी **(Hindi)**	07	एम.ए.	हिन्दी (Hindi)/अनुवाद विज्ञान (Translation Science)
8	इतिहास **(History)**	08	एम.ए.	इतिहास (History)/ आधुनिक इतिहास (Modern History)/ मध्यकालीन इतिहास (Medieval History)/ प्राचीन इतिहास (Ancient History)
9	गृह विज्ञान **(Home Science)**	09	एम.एच.एससी./ एम.एससी.	होम साइंस/ फूड एण्ड न्यूट्रिशियन/ क्लॉथिंग एण्ड टेक्सटाईल/ हयूमन डेव्हलपमेंट/चाईल्ड डेव्हलपमेंट/ होम मेंनेजमेंट/फेमेली रिसोर्स मेंनेजमेंट/ रिसोर्स मेंनेजमेंट/ होम साइंस एक्सटेंशन एज्युकेशन
10	विधि **(Law)**	10	एल.एल.एम.	विधि (Law)
11	लाईफ साइंस **(Life Sciences)**	11	एम.एससी.	वनस्पतिशास्त्र (Botany) / प्राणिशास्त्र (Zoology)/सूक्ष्म जीवविज्ञान (Micro Biology)/जीवविज्ञान (Life Science)/ जैव प्रौद्योगिकी (Bio Technology)/ बायों केमिस्ट्री (Bio Chemistry)/ वॉयरोलॉजी (Virology) जैव सूचना विज्ञान (Bio Informatics)/ जीवविज्ञान (Bio Science)/ फॉरेस्ट्री (Forestry)/ आनुवांशिकी (Genetics)/ औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान (Industrial Microbiology)/आनुवांशिकी यांत्रिकी (Genetics Engineering) /मत्स्य विज्ञान (Fisheries)/ एक्वाक्लचर (Aquaculture)/ सरोवर विज्ञान (Limnology)/ कीट विज्ञान (Entomology)

12	गणितीय विज्ञान **(Mathematical Sciences)**	12	एम.एससी. / एम.ए.	गणित (Mathematics) / सांख्यिकी (Statistics) / व्यावहारिक गणित (Applied Mathematics) / कम्प्युटेनशनल गणित (Computational Mathematics) / औद्योगिक गणित (Industrial Maths) / इंजीनियरिंग मैथ्स (Engineering Maths) / मैथमेटिकल सांइंस (Mathematical Science)
13	संगीत **(Music)**	13	एम.ए.	संगीत (Music)
14	दर्शनशास्त्र **(Philosophy)**	14	एम.ए.	दर्शनशास्त्र (Philosophy)
15	भौतिकीय विज्ञान **(Physical Sciences)**	15	एम.एससी.	भौतिक (Physics) / भौतिक विज्ञान (Physical Science) / एस्ट्रो फिजिक्स (Astro-Physics)/ व्यावहारिक भौतिकी (Applied Physics) / पदार्थ विज्ञान (Material Science)
16	राजनीति विज्ञान **(Political Science)**	16	एम.ए.	राजनीति विज्ञान (Political Science)
17	संस्कृत **(Sanskrit)**	17	एम.ए.	संस्कृत (Sanskrit)
18	समाजशास्त्र **(Sociology)**	18	एम.ए.	समाजशास्त्र (Sociology)
19	उर्दू **(Urdu)**	19	एम.ए.	उर्दू (Urdu)

नोट :– उक्त 19 मुख्य विषय की दिनांक 21.11.2016 यू.जी.सी. प्राप्त स्वीकृति एवं सह विषयों का मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 05.10.2018 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

परिशिष्ट–2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों हेतु निर्देश एवं अन्य जानकारी

राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)–2018 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :–

1. उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र निम्न वेबसाईटों पर भरे जा सकेंगे

   (a) www.mppscdemo.in (b) www.mppsc.com (c) www.mppsc.nic.in

2. अभ्यर्थी आवेदन–पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ लें। आवेदन–पत्र दिनांक **11.10.2018** को दोपहर 12:00 बजे से **11.11.2018** रात्रि 12:00 बजे तक ही भरे जा सकते हैं साथ ही आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्वप्रामाणित प्रति, समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्रों सहित (**हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्ररी, स्नातक, स्नातकोत्तर की अंकसूची जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र,अन्य प्रमाणपत्र**) आयोग के पते– परीक्षा नियंत्रक (सेट), राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेन्सी एरिया इंदौर (मध्यप्रदेश)–452001 को स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होकर (कार्यालयीन समय में, दिनांक 29.11.2018 तक) प्रस्तुत करना होंगा।

3. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे सेट–2018 परीक्षा के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन भरने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन भरें।

4. अभ्यर्थी स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अलावा नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

5. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज फोटों नाम सहित, हस्ताक्षर, **हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्ररी, स्नातक, स्नातकोत्तर की अंकसूची जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र,अन्य प्रमाण–पत्र** की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न (अपलोड) करे आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन–पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

6. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरते समय अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन–पत्र की प्रत्येक जानकारी सोच–समझकर, सावधानीपूर्वक एवं सही रूप में भरें।

7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया में अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वह पूर्णतः अभ्यर्थी द्वारा सत्य भरी गई है।

8. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क :–**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यार्थियों हेतु परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यार्थियों हेतु परीक्षा शुल्क
रु. 600/–	रु. 1200/–

टीपः– 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन छूट का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगां। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जायेंगे।

2. किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किये गये शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर ना तो विचार किया जावेगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा/ चयन के लिये आरक्षित रखा जा सकेगा । आयोग को प्राप्त शुल्क निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जाएगा।
   - यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा
   - किसी कारण से परीक्षा निरस्त कर दी जाये।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी हेतु आयोग के निम्न हेल्प लाइन पर कार्यालयीन समय में (प्रातः 10:30 बजे से 5:30 बजे तक, अवकाश दिवसो को छोड़कर) सम्पर्क करें :–

हेल्पलाइन :– 8435839544 Email :- mppsconline @gmail.com

10. आवेदक को उसके द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनांए अर्थात उसका नाम, माता–पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, आदि की जानकारी दी जाएगी। जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र में सभी प्रविष्ठयॉ पूर्ण करने के पश्चात popup window में OK बटन दबाने पर घोषणा पत्र प्राप्त होगा। जिसमें उसके आवेदन–पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा।

11. उक्त घोषणा–पत्र अभ्यर्थी द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़कर, उपयुक्त स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, उसे स्कैन कराकर, स्कैन की गयी फाईल को पुनः ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ उपयुक्त स्थान पर अपलोड करना है। वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन–पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यार्थी अपना आवेदन–पत्र भलीभांति पढ़कर, समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।

12. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन–पत्र Submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाने पर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण हुई अथवा नही। ततपश्चात अभ्यर्थी को उसका सम्पूर्ण आवेदन–पत्र प्राप्त होगा। जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा। जिसमें भुगतान राशि तथा "PAYMENT DONE" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी, सम्पूर्ण आवेदन–पत्र को प्रिंट करके एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्वप्रामाणित प्रति, समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्रों सहित आयोग के पते – परीक्षा नियंत्रक (सेट), राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ (सेट सेल), मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर (मध्यप्रदेश) पिनः–452001 को स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होकर (कार्यालयीन समय में, दिनांक 29.11.2018 तक) प्रस्तुत करना होंगा। एक प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन–पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

13. त्रुटि सुधार सुविधा :–

(क) आवेदक अपना आवेदन–पत्र सावधानी पूर्वक भरे। आवेदन–पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **14.10.2018** से **14.11.2018** तक प्रति सत्र रूपये 50/– त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चात्वर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

(ख) अनारक्षित श्रेणी हेतु परीक्षा शुल्क 1200/– रू. तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 600/– रू. निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गये आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रूपये 600/– त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गये आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(ग) ऑनलाइन आवेदन–पत्र में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/दिव्यांगजन), संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि व न्यूनतम अर्हता इत्यादि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग शैक्षणिक अर्हता इत्यादि परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

14. आवेदक यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा आवेदन–पत्र में दर्ज हस्ताक्षर को ही, वे परीक्षा की उपस्थिति पत्र तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

15. सेट–2018 परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र जारी करने अथवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। पात्रता के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

16. चूंकि सेट परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है। अतः किसी भी श्रेणी/वर्ग के अभ्यार्थियों को सेट–2018 परीक्षा हेतु यात्रा व्यय के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

17. **अनुशासनिक निर्देशः–**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी हैः–

1. जिसमें अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या
2. प्रतिरूपण किया हो; या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
4. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
5. ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने परीक्षा के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत तथ्य छुपाया हो; या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हो; या
8. परीक्षा संचालन में लगे अधिकारी/कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
9. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य अधिकारी/कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

<u>तब आयोग द्वाराः–</u>

क. उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा।

और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

ख. यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

ग. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

20. **अनर्हतायेंः–** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया हैं।

21. **<u>अत्यंत महत्वपूर्णः</u>–** आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश–पत्र के साथ निम्नानुसार किसी एक मान्य फोटो युक्त पहचान–पत्र प्रस्तुत करने तथा उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात् ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी।

1. पासपोर्ट
2. मतदाता पहचान–पत्र
3. ड्रायविंग लायसेंस
4. पैन कार्ड
5. आधार कार्ड
6. शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय–पत्र
7. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
8. शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय–पत्र
9. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय–पत्र

ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

(अ) परीक्षा पूर्व निर्देशः–

1. प्रवेश–पत्र प्राप्ति प्रक्रिया :– परीक्षार्थी अपना प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाईट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। अभ्यर्थी के प्रवेश–पत्र पर परीक्षा की तिथि एवं समय अंकित होगा। प्रवेश–पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक गुम हो गया है तो वे आनलाइन रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डाल कर O.T.P (One Time Password) हेल्प लाइन नम्बर (आयोग द्वारा जारी) वेबसाइट पर उपलब्ध Know Your Application Number लिंक से प्राप्त कर सकते है।
2. प्रत्येक प्रवेश–पत्र पर विशिष्ट बारकोड अंकित है। परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश–पत्र को हेल्पडेस्क पर रीड किया जाता है। यदि आवेदक अपने प्रवेश–पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है या छेडछाड़ करता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3. परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नंबर प्रदाय किये जावेंगे।
4. अभ्यर्थियों हेतु हेल्प लाईन तथा ई–मेंल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूँछताछ कार्यालयीन समय में (प्रातः 10:30 बजे से 5:30 बजे तक, अवकाश दिवसो को छोड़कर) की समुचित व्यवस्था की जाएगी :–

   हेल्पलाईन नंबर :– 8435839544
   ई.मेंल :– mppsconline@gmail.com
5. आयोग की वेबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से स्वयं को प्रशिक्षित कर सकेंगे।
6. अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके। प्रत्येक अभ्यर्थी का हेल्पडेस्क पर बायोमेंट्रिक निशान अंकित किया जाता हैं तथा प्रवेश–पत्र की सूक्ष्म जांच की जाती हैं तथा बारकोड का मिलान किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगता हैं, अतः अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंम्भ होने के 01:30 घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नही होगी।
7. अभ्यर्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे, तथा अपनी हथेंलियों पर किसी भी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो , क्योंकि इस कारण बायोमेंट्रिक जांच नही हो पाती है।
8. दिव्यांगजन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :–
   - अ. दिव्यांगजन श्रेणी के केवल ऐसे निःशक्तजन को अतिरिक्त समय दिया जाएगा जो सहलेखक का प्रयोग करेंगे।
   - ब. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को सहलेखक की पात्रता होगी, सहलेखक इन्हें परीक्षा प्रश्न–पत्र हल किये जाने हेतु निर्धारित समय के 20 मिनिट प्रति घंण्टा का अतिरिक्त समय दिया जावेगा, इस हेतु अभ्यर्थी सहलेखक की अनुमति हेतु केन्द्राध्यक्ष से परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करें।
   - स. सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी, जिसकी अनुमति केन्द्राध्यक्ष से अभ्यर्थी को लेनी होगी।

द. आयोग द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और न ही सहलेखक को किसी भी प्रकार का मानदेय/ यात्रा भत्ता का भुगतान किया जावेगा।

इ. अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूलफोटो युक्त मान्य परिचय–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (मान्य परिचय–पत्र सूची हेतु देखे परिशिष्ट–2 बिंदु–21)।

उ. सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केन्द्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व ही केन्द्राध्यक्ष से संपर्क करें ।

ऊ सहलेखक की सुविधा हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा–मंडल/संभागीय चिकित्सा–मंडल/राज्य चिकित्सा–मंडल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगी। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

9. अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र में रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुँचने के पश्चात परीक्षार्थी के मूल फोटो का परिचय पत्र, एडमिट कार्ड एवं फोटो की जांच प्रवेश–पत्र एवं अभ्यर्थी के साथ मिलान किया जाएगा। तत्पश्चात् बायोमेंट्रिक वेरिफिकेशन दाएँ हाथ का अंगूठा, दाएँ हाथ का अंगूठा न होने पर बाँये हाथ का अंगूठा एवं दोनो अंगूठे न होने पर बाँयें/ दाएँ हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा।

10. परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएँ अन्दर न ले जा सके।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुएँ :– इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :–

अ. सामान्यतः ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि अभ्यर्थी अपने कपड़ों, कफलिंक, चश्मा, जूते–मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के डिवाइस का प्रयोग करते हैं।

ब. परीक्षा कक्ष में जूते–मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। अभ्यर्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर कक्ष में आ सकते है। चेहरे को ढक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।

स. एसेसरीज :– जैसे बालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/ वॉलेट टोपी वर्जित हैं।

द. सिर, नाक, कान, गला, हाथ–पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले समस्त प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों को कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

11. **आयोग द्वारा निम्न फोटो** – आई.डी. कार्ड (पहचान–पत्र) मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति अभ्यर्थी को साथ में लाना आवश्यक होगा। इनकी फोटोकॉपी मान्य नहीं की जावेगी :–

1. मतदाता परिचय–पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्रायविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो युक्त बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्र।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थीयों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान–पत्र।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो।

उपरोक्त के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

(ब) ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषताएं:–

1. संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी।
2. आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केंद्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा।

3. रजिस्ट्रेशन एवं वेरीफिकेशन के पश्चात परीक्षार्थी को रूम नंबर एवं सीट नंबर एलॉट किये जायेंगे।
4. ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी केंद्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं जो प्रश्न–पत्र को आयोग से सुरक्षित रूप में ऑनलाईन प्राप्त कर केंद्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे ।
5. परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गयी है, उस पर सीट नंबर, मशीन नंबर, आई.पी. एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठें।
6. परीक्षार्थी अपने रोल नंबर एवं प्रवेश पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लॉग–इन कर सकेंगे।
7. परीक्षार्थी द्वारा लॉग–इन करने के पश्चात कम्प्यूटर स्क्रीन पर instruction page, symbol page display होगा।
8. परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेंगे तत्पश्चात स्क्रीन पर मॉडल आंसर उपलब्ध होगा। जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेंगा। उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। यदि उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/ तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत करायेंगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके।
9. परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे की परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित है।
10. प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरीफिकेशन शीट के आधार पर बाँये/दाँये हाथ पर बैंठे परीक्षार्थी द्वारा किया जाएगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गयी मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था।
11. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा।
12. परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जाएगी। उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा।
13. यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बंद हो जावेगी।

(स) परीक्षा पश्चात कार्य प्रक्रिया –

1. अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात हल किये गये प्रश्नों का PDF Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगे। अवलोकन किये जाने हेतु 05:00 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा। जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में से किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे।
2. परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की पुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल आई.डी पर भेजी जायेगी तथा प्रावधिक उत्तर कुंजी परीक्षा उपरांत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी।
3. ऑनलाइन परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों और उसके प्रावधिक उत्तरों की कुंजी तैयार कर, आयोग की वेबसाईट www.mppscdemo.in, www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in पर प्रकाशित की जायेगी।
4. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाईन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में प्रश्नपत्र से संबंधित प्रश्नों से आपत्तियॉं आमंत्रित की जायेंगी। उक्त अवधि के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा केवल ऑनलाइन प्राप्त आपत्तियों पर ही, आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। ऑनलाइन प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु रूपये 100/– शुल्क देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति सही पाये जाने पर वापस किया जायेगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा विचार कर निम्नलिखित अनुसार प्रश्न–पत्र से संबंधित प्रश्नों की त्रुटि निवारण की कार्यवाही की जाएगी :–

अ. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर कुँजी में गलत उत्तर दिया गया है, और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जायेगा।

ब. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जायेगा।

(i) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो।

(ii) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हो।

(iii) प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो जिससे प्रश्न का मूल स्वरूप में परिवर्तन हो।

स. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त ऑनलाइन प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाईट www.mppscdemo.in, www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरकुंजी पर अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जाएगें।

उ. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किये गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

5 सेट–2018 के प्रथम प्रश्न–पत्र (अनिवार्य) एवं द्वितीय प्रश्न–पत्र (ऐच्छिक) में से किसी भी प्रश्न–पत्र में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को अनर्ह माना जाएगा। उन अभ्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार ही नहीं किया जाएगा।

प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) एवं 19 विषयों (ऐच्छिक) के पाठ्यक्रम की सूची

यू.जी.सी. द्वारा सेट प्रकोष्ठ को निम्नांकित विषयों में सेट–2018 की परीक्षा आयोजित करने हेतु ही अधिकृत किया गया है। एक अनिवार्य विषय एवं 19 ऐच्छिक विषयों के प्रश्न–पत्र के पाठयक्रम की सूची निम्नानुसार है:–

[I] प्रथम प्रश्न–पत्र :– अनिवार्य विषय (Compulsory Paper) :- सामान्य जागरूकता (General Awareness)/ शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता (Teaching and Resaerach Aptitude)

[II] द्वितीय प्रश्न–पत्र :– 19 ऐच्छिक विषयों के प्रश्न–पत्र के पाठयक्रम की सूची

नोटः–यू.जी.सी. द्वारा द्वितीय एवं तृतीय प्रश्पपत्र (Including all electives, without options) केसंम्पूर्ण पाठ्यकम का विलय कर दिया गया है। अतः इन दोनो प्रश्नपत्रों का पाठयकम सम्मिलित रूप से द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठयकम होगा। अभ्यर्थी तद्नुसार प्रश्नपत्र द्वितीय की तैयारी करें।

S.No	Subject	Sub. Code
1.	कैमिकल साइंसेस (Chemical Sciences)	01
2.	वाणिज्य (Commerce)	02
3.	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन (Defence & Strategic Studies)	03
4.	अर्थशास्त्र (Economics)	04
5.	अंग्रेजी (English)	05
6.	भूगोल (Geography)	06
7.	हिन्दी (Hindi)	07
8.	इतिहास (History)	08
9.	गृह विज्ञान (Home Science)	09
10.	विधि (Law)	10
11.	लाईफ साइंसेस (Life Sciences)	11
12.	गणितीय विज्ञान (Mathematical Sciences)	12
13.	संगीत (Music)	13
14.	दर्शनशास्त्र (Philosophy)	14
15.	भौतिकीय विज्ञान (Physical Sciences)	15
16.	राजनीति विज्ञान (Political Science)	16
17.	संस्कृत (Sanskrit)	17
18.	समाजशास्त्र (Sociology)	18
19.	उर्दू (Urdu)	19

टीप :– उक्त विषयों के पाठयक्रम **(Syllabus)** की प्रति अभ्यर्थियों को अलग से नही भेजी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं ही संबंधित विषय के प्रश्न–पत्र का पाठयक्रम आयोग की वेबसाईट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** से प्राप्त करेंगें।

परीक्षा के पूर्व व पश्चातवर्ती प्रक्रिया के सदंर्भ में आवश्यक निर्देशः

1.

(अ). **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन–पत्र की प्रति व घोषणा पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय सेट सेल में पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों को अंतिम तिथी 29.11.2018 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

अ. **जन्मतिथि संबधी प्रमाण पत्रः**– केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेंट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण–पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

ब. **शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्रः**– स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की समस्त अंक सूचिया।

स. **शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्रः**– यह प्रमाण–पत्र नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

द. दिव्यांगता **प्रमाण–पत्र** :– यह प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी होना चाहिए तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता प्रमाणित किया होना चाहिए।

इ. **जाति प्रमाण–पत्र** :– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाणपत्र देने हेतु अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो।

ई. विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

उ. अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के सभी अभ्यर्थियों को निम्न घोषणा–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा :–

घोषणा–पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं————————आयोग के राज्य पात्रता परीक्षा–2018 के विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन–पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा /रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं——————पुत्र/पुत्री श्री—————— निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/ —————— जिला —————— , मध्यप्रदेश का/ की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं—————— जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित हैं।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 02 नवंबर 2017 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार मैं संपन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :– ——————

अभ्यर्थी का आवेदन–पत्र क्रमांक ——————

अनुक्रमांक ——————

हस्ताक्षर ——————

नाम ——————

पता ——————

(ब). आवश्यक निर्देशः–

1. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम में प्रकाशित किये गए अनुक्रमांक पूर्णतः प्रावधिक होंगे। यदि अभ्यर्थी राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)–2018 के लिये विज्ञापन में प्रकाशित अर्हताओं, नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी।
2. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक आयोग की वेबसाईट www.mppscdemo.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर देखने के लिये उपलब्ध होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी प्रकार की मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग के राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ का परिणाम ही प्रामाणिक माना जाएगा।

3. सेट–2018 की परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अंपने प्राप्त अंकों की जानकारी आयोग की वेबसाईट पर अपने रोल नंबर एवं जन्मतिथि के पासवर्ड की सहायता से लॉग–इन कर प्राप्त कर सकेंगें। किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से अंकसूची नहीं भेजी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा। वेबसाइट से डाउनलोड की गई अंकसूची न्यायालयीन/किसी भी प्राधिकृत संस्था में उपयोग नहीं की जा सकेगी। अंकों के अधिकृत सत्यापन का अधिकार आयोग (सेट प्रकोष्ठ) के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।

4. राज्य पात्रता परीक्षा– 2018 की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई भी कम्प्यूटर/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

5. **सेट परीक्षा–2018 में परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात् किसी प्रकार की अनुपूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है।**

6. किसी भी प्रश्न–पत्र में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को अनर्ह माना जाएगा। उन अभ्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार ही नहीं किया जाएगा।

7. सेट–2018 परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र जारी करने अथवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है।

   पात्रता के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

(स). अन्य निर्देश :–

1. दस्तावेजों के पुष्टिकरण के पश्चात आवेदन–पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप सेट–2018 के पात्रता के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह/अपात्र घोषित किया जावेगा।
2. स्वसत्यापित आवेदन–पत्र एवं दस्तावेजो को ही मान्य किया जायेगा
3. अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन–पत्रों का सेट प्रकोष्ठ द्वारा संपूर्ण पुष्टिकरण के पश्चात ही पात्र अभ्यर्थियों को राज्य पात्रता परीक्षा–2018 का प्रमाण पत्र उनके दिये गए ईमेल पते पर भेजा जाएगा।
4. परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि, लिपकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का पूर्णतः अधिकार सुरक्षित रहेगा।
5. न्यायालयीन प्रकरणों मे अंतिम निर्णय प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
6. सेट परीक्षा से सम्बन्धित अन्य अपडेट्स के लिए आयोग की वेबसाईट पर विजिट/अवलोकन करते रहे।

----XXX----